संख्या- 292 /2025 / 2514 /चार-2025- 1962251

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊः दिनांक 29 अगस्त, 2025

विषय- इण्डियन रोड कांग्रेस, नई दिल्ली एवं यूपीआरआरडीए द्वारा दिनांक 29.08.2025 एवं 30.08.2025 को संयुक्त रूप से आयोजित - Full Depth Recycling and Green Technologies in Road Construction विषयक सेमिनार में सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 1516/सं0नि0-15(55)/2025-26 दिनांक 25 अगस्त, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ के पत्रांक- 7947/IRC/ यूपीआरआरडीए/2025 दिनांक 25.07.2025 के क्रम में इण्डियन रोड कांग्रेस, नई दिल्ली एवं यूपीआरआरडीए के द्वारा दिनांक 29.08.2025 एवं दिनांक 30.08.2025 (शुक्रवार एवं शनिवार) को संयुक्त रूप से आयोजित - Full Depth Recycling and Green Technologies in Road Construction विषयक सेमिनार में सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय एवं कार्यक्रम की अन्य व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय विवरण से निम्नवत् अवगत कराया गया है:-

क्र0	दिनांक	कलाकार का नाम	विधा	मानदेय	यात्रा व्यय	कुल मानदेय
1	29.08.2025	सुश्री बेबी इमरान, झांसी	राई नृत्य	40000	33000	73,000.00
2		सुश्री पूनम श्रीवास्तव, अयोध्या	फरूवाही नृत्य	40000	13200	53,200.00
3		सुश्री शिवानी तिवारी, मथुरा	मयूर नृत्य/फूलों की होली	40000	33000	73,000.00
4	30.08.2025	भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ	कथक नाटिका	40000	-	40,000.00
5		श्री कमाल खान, लखनऊ (बी हाई)	गजल/भजन गायन	45000	-	45,000.00
6	कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों हेतु स्थानीय स्तर पर आवास एवं भोजन एवं कार्यक्रम स्थल पर सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था पर अनुमानित व्यय				-	4,90,000.00
7	कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों हेतु स्थानीय यातायात पर होने वाला अनुमानित व्यय				-	60,000.00
	योग- (रूपये आठ लाख चौंतीस हजार दो सौ मात्र)					**8,34,200.00**

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार दिनांक 29.08.2025 एवं दिनांक 30.08.2025 को इण्डियन रोड कांग्रेस, नई दिल्ली एवं यूपीआरआरडीए के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित - Full Depth Recycling and Green Technologies in Road Construction विषयक सेमिनार में सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु **रू0 8,34,200.00 (रू0 आठ लाख चौंतीस हजार दो सौ मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(8) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान/ कलाकार के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अतः बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-19- विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन-42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in